भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2212
15 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में मछुआरों के लिए कल्याण योजना

2212. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु राज्य में मछुआरा समुदाय के लिए सुनामी/बाढ़– प्रतिरोधी घरों के प्रावधान के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं;
(ख) यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में मछुआरों के लिए विभिन्न आवास कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित और संवितरित की गई है;
(ग) सरकार द्वारा देश में मछुआरों के लिए पर्याप्त आवास ,शैक्षिक ,खेलकूद और चिकित्सा अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है ; और
(घ) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान किए गए राशि आवंटन और संवितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अब 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20,050 करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक निवेश से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक प्रमुख योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमएसवाई में एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य तटीय मछुआरों को अधिकतम आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करने के साथ स्थायी मत्स्यन प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय अवनति को कम करना है। इसके अलावा, स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर भागीदारी और एकीकृत तरीके से चिह्नित अपेक्षित अंतर पूर्ति बुनियादी ढांचे, आधुनिक सुविधाओं, आपदा प्रतिरोधी घरों, चक्रवात और सूनामी आश्रयों, पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं आदि भी तटीय मत्स्यन गाँव में जहां तक संभव है, स्वीकार्य है।

इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन में मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना के घटक के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान 12452 मछुआरा आवासों के लिए 101.36 करोड़ रुपये, मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान 8,37,575 मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए 110.11 करोड़ रुपये और 31,26,228 लाख मछुआरों के वार्षिक रूप से बीमा कवरेज के लिए 4.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा ,पीएमएमएसवाई के अंतर्गत ,सामाजिक-आर्थिक रुपये से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के अंतर्गत 134733 मछुआरों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए 21-2020 के दौरान 30.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। हालांकि ,तमिलनाडु राज्य ने उर्पयूक्त सीएसएस के मछुआरे आवास घटक के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

*****